(17)

संख्या–383 /XVI(1)/11/7(19)/298/2002

प्रेषक,

राजीव गुप्ता,
प्रमुख सचिव एवं आयुक्त,
वन एवं ग्राम्य विकास,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण,
उद्यान भवन,चौबटिया–रानीखेत।

उद्यान एवं रेशम अनुभाग–1 देहरादून :दिनांक 28 अप्रैल,2011

विषयः–औद्यानिकी से सम्बन्धित फसलों के उत्पादन, विपणन, प्रसंस्करण, नर्सरी आदि के विभिन्न परियोजनाओं पर राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) द्वारा प्रदत्त सहायता के समतुल्य धनराशि (मैचिंग ग्राण्ट) दिये जाने के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–406/XVI/04/298/2002,दिनांक–17–05–2004 को तत्काल प्रभाव से अवक्रमित करते हुए राज्य के उद्यानपतियों/उद्यमियों को प्रोत्साहित करने हेतु औद्यानिकी से सम्बन्धित फसलों के उत्पादन, विपणन, प्रसंस्करण, नर्सरी आदि से सम्बन्धित विभिन्न परियोजनाओं पर राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) द्वारा प्रदत्त सहायता के समतुल्य धनराशि (मैचिंग ग्राण्ट) अनुदान के रूप में शासन द्वारा प्रदान किये जाने की महामहिम राज्यपाल निम्नलिखित विवरणानुसार सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

1- राज्य सरकार द्वारा उद्यानपतियों/उद्यमियों को प्रदत्त सहायता राशि उपरोक्त वर्णित संस्थाओं द्वारा प्रदत्त सहायता राशि के समतुल्य होगी, परन्तु एक परियोजना के लिए सहायता धनराशि की अधिकतम सीमा ₹ 4.00 लाख (₹ चार लाख मात्र) (APEDA कार्यक्रम हेतु 20% सहायता प्रदान की जायेगी तथा अधिकतम धनराशि ₹–4.00 लाख से अधिक नहीं होगी) देय होगी।

2- यह सहायता पिछली पूँजी निवेश सहायिकी (बैक एन्डेड) सहायता के रूप में प्रदान की जायेगी, अर्थात् समुचित परीक्षण के उपरान्त यह धनराशि सम्बन्धित उद्यानपतियों/उद्यमियों के द्वारा जिस राष्ट्रीयकृत बैंक से ऋण लेकर यह परियोजना लगाई गई है, उसी ऋण खाते में जमा की जायेगी।

3- उपर्युक्त संस्था के द्वारा उद्यानपतियों/उद्यमियों को अनुमन्य राशि प्राप्त हो जाने के उपरान्त ही राज्य सरकार द्वारा सहायता राशि उपलब्ध कराई जायेगी।

4- निदेशक उद्यान सम्बन्धित उद्यानपतियों/उद्यमियों को उक्त सहायता राशि प्रदान करने से पूर्व सम्बन्धित जनपदों के जिला उद्यान अधिकारी एवं राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) के कार्यक्रमों के लिए नामित नोडल अधिकारी के माध्यम से परियोजना का भौतिक सत्यापन कराकर निरीक्षण आख्या प्राप्त करने के उपरान्त सन्तोषजनक पाये जाने की दशा में प्रदान करेंगे।

क्रमशः––2

5- अनुदान की धनराशि निम्न कार्यक्रमों के लिए उपलब्ध होगी:–

(1) राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (National Horticulture Board)

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के अन्तर्गत निम्न योजनायें पात्रता श्रेणी में आयेंगे–

A- उच्च घनत्व वगीचा जिसमें उपयुक्त पौध सघनता/छतरी प्रबंध, गुणवत्तायुक्त रोपण पदार्थ,उपर्युक्त निवेश के साथ प्रोत्साहन तथा प्रबंध क्षेत्र अपनाना सम्मिलित है।

B- रोग रहित, कम से कम समय में उचित प्रकार के बहुभाग उत्पादन के लिए सूक्ष्म–प्रसार (टिश्यू कल्चर)।

C- पौली हाउसिज,ग्रीन हाउसिज,नेट–हाउसिज आदि में नियंत्रित जलवायु परिस्थितियों के अन्तर्गत उच्च प्रौद्योगिकीयुक्त खेती।

D- दक्ष जल प्रबंधन तकनीकी के द्वारा वर्षा आधारित उत्पादन, मृदा नमी संरक्षण के लिए घासपात से ढकना,मृदा रिसाव को कम करने के लिए रोक लगाना,ड्रिप माध्यम द्वारा सिंचाई, छिड़कावन,उर्वरकीकरण तथा जल फसलन संरचना आदि।

E- सब्जियों,फूलों,सजावटी पौधों,फल आदि के गुणवत्तायुक्त बीज/पौधों के लिए नर्सरी प्रबंधन,शंकर बीज उत्पादन,कार्बनिक कृषि,पूरे वर्ष गुणवत्ता उत्पादन के लिए जलध्वनिक,बागवानी में प्लास्टिक का प्रयोग; जैव– प्रौद्योगिकी।

F- अनुवंशिकी तौर पर रूपांतरित जीव (जी.एम.ओज)

G- उत्पादन,उत्तर–फसल रख–रखाव,संसाधन तथा विपणन के लिए अवसंरचना का विकास।

H- बाजारों का विकास तथा उत्पादों,उपस्करों के नए प्राथमिक संसाधनों का प्रारम्भ।

I- उच्च गुणवत्ता वाणिज्यिक फसलें,देशज फसलें/उत्पादन झाडियां, सुगन्धित पौधे, बीज तथा नर्सरी, जैव प्रौद्योगिकी, उत्तक सांस्कृति, जैव पेस्टनाशी, कार्बनिक खाद्य बागवानी स्वास्थ्य क्लीनिकों/प्रयोगशालाओं की स्थापना, मधुमक्खी पालन की योजनाएं।

J- पी.एच.एम/संसाधन से सम्बन्धित ग्रेडिंग/पैकिंग/धुलाई/वैक्सिंग/छटाई /शुष्कण केन्द्र, पूर्व शीतलन यूनिट/शीत भण्डार,रीफर गाड़ी/ डिब्बा,विशिष्ट परिवहन वाहन, परचून बाजार, नीलाम प्लेटफार्म, पक्वन संसाधन चेम्बर,बाजार यार्ड/रज्जूमार्ग,संसाधन यूनिट/विकिरण यूनिट /वाष्प ऊष्मा उपचार यूनिट, उत्पादों का प्रारम्भिक संसाधन योजनाओं पर राज्य सरकार द्वारा सहायता प्रदान किया जायेगा।

(2) कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA)

(1) अवस्थापना सुविधाओं का विकास(Scheme For Infrastructure Development

इसके अन्तर्गत निम्न योजनाऐं पात्रता की श्रेणी में आयेंगी:–

A- Assistance for purchase of specialized transport units for animal product, horticulture and floriculture sector.

B- Mechanization of harvest operation of the produce.

C- Setting up of sheds for intermediate storage and grading/storage/cleaning operation of produce.

D- Setting up of mechanized handling facilities including sorting, grading, washing, waxing, ripening, packaging & palletization etc.

क्रमशः––3

E- Setting up of pre cooling facilities etc. with proper air handling system.
F- Providing facilities for preshipment treatment such as fumigation, X-ray screening, hot water dip treatment, water- softening plant.
G- Setting up of intregated post harvest handling system (pack houses/ green house with any two or more of the above facilities)
H- Assistance for setting up of environment control system e.g. pollution control, treatment etc.
I- Setting up of specialized storage facilities such as high humidity cold storages, deep freezers, controlled atmosphere (CA) or modified atmosphere (MA) storage etc.

(2) **विपणन का विकास (Scheme for market Development)**
Assistance to exporters for use of packaging material as per standards and specification developed or adopted by APEDA

उपरोक्त योजना के लिए एपीडा द्वारा स्वीकृत सहायता को 30 प्रतिशत मानते हुए राज्य सरकार द्वारा इसके सापेक्ष 20 प्रतिशत सहायता प्रदान की जायेगी, परन्तु अनुदान की अधिकतम धनराशि ₹4.00 लाख से अधिक नही होगी।

भवदीय,

राजीव गुप्ता
प्रमुख सचिव एवं आयुक्त,
वन एवं ग्राम्य विकास,

संख्या– 383 /XVI(1)/11/7(19)/298/2002,तद्दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–
1– सचिव, कृषि, उत्तराखण्ड शासन।
2– अपर सचिव, वित्त अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन।
3– प्रबन्ध निदेशक,राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, गुड़गॉव, हरियाणा।
4– अध्यक्ष,एपीडा, भारत सरकार, नई दिल्ली।
5– राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
6– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विनोद फोनिया)
सचिव।